<u>विधान सभा एवं संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन</u>
<u>दिशा-निर्देश एवं कार्य-पद्धति</u>

I. संवैधानिक एवं विधिक उपबंध

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 और संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 ने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 में संशोधन कर दिया है। संविधान के इन संशोधनों का संचित प्रभाव यह है कि -

(i) **1971 की जनगणना** के आधार पर लोक सभा में [1]विभिन्न राज्यों को यथा-आबंटित **मौजूदा** सीटों की कुल संख्या, वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना तक **अपरिवर्तित** बनी रहेगी;

(ii) **1971 की जनगणना** के आधार पर यथा-नियत सभी राज्यों की विधान सभाओं में **मौजूदा** सीटों की कुल संख्या भी वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना तक अपरिवर्तित बनी रहेगी;

(iii) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में **अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.)** के लिए **आरक्षित** सीटों की संख्या **2001 की जनगणना** के आधार पर **पुनर्नियत** की जाएंगी;

(iv) प्रत्येक राज्य को **2001 की जनगणना** के आधार पर राज्यक्षेत्रीय संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में **पुनर्परिसीमित** किया जाएगा और अब यथा-परिसीमित ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना तक नियत बना रहेगा; और

(v) निर्वाचन-क्षेत्र इस तरह पुनर्परिसीमित किए जाएंगे कि एक राज्य में प्रत्येक संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की **जनसंख्या** (2001 की जनगणना के आधार पर), **जहां तक व्यवहार्य हो सके**, पूरे राज्य में **एक समान** होगी।

संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम 2001 और संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान में किए गए पूर्वोक्त संशोधनों के अनुसरण में संसद ने परिसीमन अधिनियम, 2002, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथा-संशोधित, का अधिनियम किया है जिसमें ऊपर (iii), (iv) और (v) पर उल्लिखित कार्य उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले परिसीमन आयोग को सौंपे गए। इस तरह स्थापित परिसीमन आयोग ने 04.07.2002 से जस्टिस कुलदीप सिंह (भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) के नेतृत्व में और पदेन

[1]यहां राज्य में जम्मू-कश्मीर राज्य शामिल नहीं है लेकिन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और संघ राज्य-क्षेत्र, पुडुचेरी शामिल है।

सदस्यों के रूप में श्री बी.बी. टंडन, भारत के निर्वाचन आयुक्त तथा संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 3 (उस राज्य से संबंधित कार्य के संदर्भ में) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, काम करना शुरू कर दिया है।

आयोग अपने कार्य में, प्रत्येक राज्य के संदर्भ में, उस राज्य से निर्वाचित लोक सभा के पांच सदस्यों (अथवा ऐसे सभी सदस्य, यदि जिनकी संख्या पांच से कम हो) और राज्य विधान सभा के पांच सदस्यों को जोड़ेगा। ये एसोशिएट सदस्य लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभाओं के माननीय अध्यक्षों द्वारा नामित किए जाएंगे। लेकिन, इन एसोशिएट सदस्यों के पास मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा।

II. राज्यों का संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन

इस तरह, प्रत्येक राज्य का विधान सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन, प्रत्येक राज्य विधान सभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या और लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए वर्तमान में यथा-आबंटित सीटों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर, किया जाना है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक राज्य को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की उसी (समान) संख्या में विभाजित किया जाना है जितना कि राज्य विधान सभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या और राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या लोक सभा में उस राज्य को वर्तमान में आबंटित सीटों की संख्या के समान होगी (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली एवं दूसरी अनुसूचियां देखें)

इसके अतिरिक्त,जहां तक संभव हो, सभी निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से सुसम्बद्ध होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाईयों की विद्यमान सीमाओं, संचार और जन सुविधाओं के संबंध में ध्यान रखा जाएगा।

III. जनसंख्या

(i) सभी विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर परिसीमित किया जाएगा। अत:, इस प्रयोजनार्थ केवल जनगणना आयुक्त द्वारा यथा प्रकाशित वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) राज्य में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रकार से परिसीमित किया जाएगा कि जहां तक संभव हो सके सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या पूरे राज्य में एक ही होगी।

(iii) इस प्रयोजनार्थ राज्य की कुल जनसंख्या (2001 जनगणना) को राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या से विभाजित किया जाएगा और इस प्रकार से प्रति निर्वाचन क्षेत्र राज्य

औसत प्राप्त हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए राज्य औसत इस प्रकार से मार्गदर्शी कारक होगा कि जहां तक व्यवहार्य हो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक समान जनसंख्या होगी।

(iv) तथापि, परिसीमन आयोग ने आंतरिक निर्णय लिया है कि चूंकि सभी मामलों में बिल्कुल एक जैसी जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जा सकता और यदि भौगोलिक विशेषताएं, संचार के साधन, जन सुविधाएं, क्षेत्रों की संलग्नता और यदि ऐसा आवश्यक हो तो प्रशासनिक इकाईयों को भंग होने से बचाने की आवश्यकता हेतु आयोग को राज्य/जिले से औसतन 10% अधिक या कम की सीमा का अंतर स्वीकार्य होगा।

IV. प्रशासनिक इकाईयां

यद्यपि, विचारणीय जनसंख्या, 2001 की जनगणना वाली जनसंख्या होगी, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रशासनिक इकाईयों यथा जिला/उप-प्रभाग/तहसीलें/पटवार सर्कल, पंचायत समिति/पंचायतें इत्यादि, जैसे कि वे 15 फरवरी, 2004 को अस्तित्व में थी, को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। (आयोग ने पहले भी राज्य सरकारों को लिखा था कि राज्य में परिसीमन प्रक्रिया की सभी प्रकार से समाप्ति तक 01.08.2002 को विद्यमान प्रशासनिक इकाईयों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन, कुछ मामलों में, आयोग ने पर्याप्त औचित्य सम्मतता और उसके लिए दर्शाई जा रही तात्कालिकता पर कतिपय प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन की अनुमति दे दी है।)

V. जिलों में विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के आबंटन के लिए कार्य-पद्धति और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

(i) परिसीमन आयोग ने निर्णय लिया है कि जहां तक व्यवहार्य हो, एक जिले के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र उस जिले की **प्रादेशिक सीमाओं के भीतर सीमित होंगे** दूसरे शब्दों में, एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र **सामान्यतया** एक से अधिक जिले में विस्तारित नहीं होगा।

(ii) परिसीमन आयोग के उपर्युक्त आंतरिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए पहला कदम उस जिले की कुल जनसंख्या को, पूर्ववर्ती पैरा के उप-पैरा(3) के अंतर्गत यथा-परिकलित प्रति निर्वाचन-क्षेत्र औसत जनसंख्या द्वारा भाग किए जाने के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या का आबंटन करना होगा। जहां ऐसे राज्यीय औसत के आधार पर एक जिले की पात्रता में भिन्न शामिल है वहां आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और आधे से कम भिन्न को नजर अंदाज कर दिया जाएगा।

(iii) अगले कदम के रूप में, जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में औसत जनसंख्या की गणना जिले की कुल जनसंख्या को उस जिले के आबंटित सीटों की संख्या के साथ विभाजित करते हुए की जाएगी।

(iv) तब, जिले में प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसत जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जिला औसत से 10 प्रतिशत अधिक या कम के अनुमेय विचलन सहित जिले के क्षेत्रों को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षित संख्या से विभाजित किया जाएगा।

(v) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जहां तक व्यवहार्य हो, सब-डिवीजनों/तहसीलों को एक साथ रखा जाए तथा इसे अनावश्यक रूप से तोड़ा न जाए। इसके अतिरिक्त उस राज्य की प्रशासनिक संरचना को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य में एक प्रशासनिक इकाई की पहचान किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसे निम्नतम प्रशासनिक इकाई के रूप में अपनाया जाएगा, जिसे किसी भी स्थिति में तोड़ा नहीं जाएगा। उदाहरणस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य में, जिले, तहसीलें, राजस्व निरीक्षक सर्किल (आरआईसी) तथा पटवारी सर्किल (पीसी) प्रशासनिक इकाई हैं। यदि परिसीमन के उद्देश्य से एक पीसी (कुछेक गांवों को मिलाकर) को निम्नतम प्रशासनिक इकाई के रूप में अपनाया जाता है, तो उस पूरी पीसी को एक साथ रखा जाएगा तथा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तथा उस पीसी में सम्मिलित गांवों को विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बांटा जाएगा।

(vi) ऊपर उल्लिखित प्रशासनिक इकाईयों के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते समय, ऐसी प्रशासनिक इकाईयों की समीपता आधारभूत आवश्यकता है, ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अन्य निर्वाचन क्षेत्र के कुछ विशेष क्षेत्र के बस्ती/द्वीप इसके भीतर ना हो और उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से इसकी समीपता न हो।

(vii) इसके अतिरिक्त, समीपता के अलावा, भौगोलिक विशेषताओं, बेहतर संपर्क व्यवस्था, संचार के साधन, जन सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा तथा नदियों या पर्वत श्रृंखलाओं या वनों या दर्रों तथा ऐसे अन्य प्राकृतिक अवरोधों द्वारा विभाजित क्षेत्रों को उस निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा।

(viii) जहां तक संभव हो, जिले में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उत्तर से प्रारंभ करते हुए पश्चिमोत्तर तक किया जाएगा तथा बाद में टेढ़े-मेढ़े रूप में बढ़ते हुए दक्षिण की तरफ समाप्त होगा।

VI. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

एक राज्य में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इसमें सम्मिलित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का एक अभिन्न गुणज होगा। कोई भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विस्तारित नहीं होगा।

VII. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण राज्य की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा।

(ii) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आबंटन 2001 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य में विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, दोनों के लिए अलग से किया जाएगा।

(iii) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(घ) के अधीन, उन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जानी होती हैं जिनमें कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसलिए, राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर लिए जाने के बाद, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के समान अवरोही क्रम में, वे होंगे जिनमें निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों जनसंख्या सर्वाधिक होगी।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 9(1)ग के अधीन, राज्य के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र वितरित किए जाने हैं तथा उन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की जानी होती हैं, जहां कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। अत:, ऊपर उल्लिखित प्रत्येक जिले के लिए सीटों की कुल संख्या का आबंटन करते समय, उन जिलों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या का आबंटन भी अलग से करना होगा। तत्पश्चात, जिले में अनुसूचित जाति सीटें, जहां तक व्यवहार्य हो सके, उन निर्वाचन क्षेत्रों में, संबंधित जिलों में अनुसूचित जाति सीटों की संख्या के समान अवरोही क्रम में, आरक्षित की जाएंगी जिनमें कुल जनसंख्या की तुलना में उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है।

VIII. आधार पत्र की तैयारी

परिसीमन आयोग के उपरोक्त सिद्धान्तों एवं आंतरिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग के कार्यालय द्वारा एक आधार पत्र तैयार किया जाएगा। आधार पत्र में सात पत्र होंगे जिनमें निहित होगा :-

i) पत्र I - जिले-वार वर्ष 2001 का जनसंख्या डाटा और प्रत्येक जिले के लिए विधान सभा सीटों की पात्रता।

ii) पत्र II - विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की पात्रता तथा जिलों के मध्य अनुसूचित जाति की सीटों का वितरण ;[1]

iii) पत्र III - प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली प्रस्तावित सीटें;

iv) पत्र IV - प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली प्रस्तावित सीटें ;

v) पत्र V - प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का सार विवरण तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूति जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या ;

vi) पत्र VI - जिला-वार विवरण जिसमें विस्तार, प्रत्येक प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का विवरण दर्शाया गया हो।

vii) पत्र VII - प्रस्तावित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रस्तावित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में उनका विस्तार।

IX. आधार पत्र-आयोग द्वारा अनुमोदन

आधार पत्र तैयार करना एवं परिसीमन आयोग द्वारा इसका अनुमोदन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में, पत्र । एवं ।। जिनमें राज्यों में विभिन्न जिलों की विधान सभा सीटों का प्रस्तावित आबंटन तथा विभिन्न जिलों के बीच अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का प्रस्तावित वितरण दर्शाते हुए, कार्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे। कार्यालय द्वारा पत्र । एवं ।। तैयार करने के तुरंत बाद, इसे अध्यक्ष, भारत के निर्वाचन आयुक्त एवं उस राज्य के राज्यीय निर्वाचन आयुक्त, जो पदेन सदस्य हैं, के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तथा इन पत्रों । एवं ।। के अनंतिम अनुमोदन के लिए पूरे आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा अनंतिम रूप से पत्र । एवं ।। तैयार किए जाने के तुरंत बाद आयोग ने अपनी पहली बैठक बुलाते हुए एसोशिएट सदस्यों से विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है। प्राय: संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी ऐसी बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है ताकि वे डाटा एवं मैप के संबंध में किसी बिंदु तथा किसी अन्य संबंधित मामले में स्पष्टीकरण दे सकें।

इसके बाद, कार्यालय द्वारा विधान सभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्तावित क्षेत्रीय विस्तार तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र दर्शाते हुए शेष पत्र ।।। से V॥ तैयार किए जाएंगे और उपरोक्त पहली बैठक में एसोशिएट सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनंतिम रूप से अनुमोदन किया जाएगा। सम्पूर्ण आधार पत्र (पत्र । से V॥ तक निहित) में अनंतिम प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात, आयोग सचिवालय को निदेश देगा कि वो एसोशिएट सदस्यों को सम्पूर्ण आधार पत्र की प्रतियां भेजें, जिन्हें प्रस्तावों को अध्ययन करने तथा आयोग में अगली बैठक(कों) में अपने सुझावों के साथ आने का उचित समय दिया जाएगा। संबंधित राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसोशिएट सदस्यों को अपेक्षित डाटा एवं मैपों का प्रतियां उपलब्ध करवाएगा।

X. एसोशिएट सदस्यों के साथ बैठक

पूर्व पैराग्राफ में, यथा उल्लिखित, राज्यों में विभिन्न जिलों के लिए विधान सभा सीटों के प्रस्तावित आबंटन को दर्शाते हुए पेपर । और ।। पर विचार करने के लिए और विभिन्न जिलों में अनुसूचित जातियों के लिए प्रस्तावित सीटों का विवरण दर्शाते हुए, आयोग एसोशिएट सदस्यों के साथ अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा। आयोग तब पूर्वोक्त पहली बैठक के एसोशिएट सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने के उपरान्त विधान सभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रस्तावित क्षेत्रीय सीमा को दर्शाते हुए आधार पत्र के शेष पेपर-पत्रों (पेपर III से V॥) तैयार करने के बाद एसोशिएट सदस्यों के साथ और बैठक (बैठकें) आयोजित करेगा। एसोशिएट सदस्यों के साथ आयोग की बैठक(बैठकों) के दूसरे राउन्ड में, आधार पत्र के संबंध में उनके सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार-विमर्श किया जाएगा, और तब आयोग के प्रारूप प्रस्ताव, एसोशिएट सदस्यों के सुझावों को ध्यान में

रखते हुए तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार तैयार किए गए प्रारूप प्रस्तावों की एक प्रति ए एम को भेजी जाएगी और यदि वे चाहें, तो किसी भी प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में असहमतिपूर्ण टिप्पणी दे सकते हैं।

XI. प्रारूप प्रस्ताव-अधिसूचना

आयोग के प्रारूप प्रस्तावों को एसोशिएट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत असहमतिपूर्ण टिप्पणियों, यदि कोई हो, और जो इसके प्रकाशन की इच्छा रखते हैं, के साथ भारत के राजपत्र और संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसे कम से कम दो विशिष्ट समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों और सभी निर्वाचन प्राधिकारियों को निदेश दिया जाएगा कि वे उन सभी के लिए जो इसकी मांग करते हैं, प्रारूप प्रस्ताव युक्त अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध करवाएं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा। उस तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस भी जारी किया जाएगा जिसमें या जिससे पहले जनता से यह अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावों के लिए अपनी आपत्तियां और सुझाव भेजें।

निर्दिष्ट तिथि के उपरान्त, प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को सारणीबद्ध किया जाएगा और सैट बनाए जाएंगे तथा इसे एसोशिएट सदस्यों सहित आयोग के सभी सदस्यों को वितरित किया जाएगा।

XII. सार्वजनिक बैठकें

प्रस्तुत किए गए सुझावों और आपत्तियों की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, आयोग वैयक्तिक रूप से जनता को सुनने के लिए राज्य में एक या एक से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करेगा। उन बैठकों का व्यापक प्रचार किया जाएगा।

XIII. अंतिम आदेश

जन सुनवाई के बाद, आयोग एक अंतिम बैठक आयोजित करेगा जिसमें एसोशिएट सदस्य (यद्यपि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है) भाग लेंगे जो सार्वजनिक बैठकों में लिखित तथा मौखिक रूप में प्राप्त सभी सुझावों पर विचार करेंगे और उन संशोधनों का निर्णय लेंगे जो प्रारूप प्रस्तावों पर किए जाने अपेक्षित हैं तत्पश्चात अंतिम आदेश तैयार करेंगे। इस प्रकार, राज्य की विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों दोनों के लिए तैयार किए गए, अंतिम आदेश पर, पूरे आयोग द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और सचिव, परिसीमन आयोग द्वारा उक्त आदेशों को भारत के राजपत्र और राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा। अंतिम आदेशों को, संबंधित राज्य में दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। अंतिम आदेशों के प्रकाशित हो जाने के पश्चात, भारत के राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया जाएगा कि वे उस तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए जबसे उक्त आदेश प्रवृत्त हों, एक अधिसूचना जारी करें। उन आदेशों की प्रतियां लोक सभा और

संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएंगी परन्तु उनके द्वारा उनमें कोई भी संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

(शंगारा राम)
सचिव

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

शंगारा राम
सचिव

सं. 282/परिसीमन/2004 **दिनांक : 5 जुलाई, 2004**

सेवा में

सभी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और मेघालय को छोड़कर)
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
एवं संघशासित क्षेत्र, पुडुचेरी के राज्य
निर्वाचन आयुक्त और परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य।

विषय : विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन-दिशा-निर्देश और कार्यपद्धति-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, आयोग के दिनांक 17 मार्च 2004 के पत्र सं. 282/परिसीमन/2004 जिसके साथ विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए दिशा-निर्देश की एक प्रति अग्रेषित की गई थी, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 5(VIII) को प्रतिस्थापित करके एक मामूली संशोधन किया है जो निम्नानुसार है :

"जहां तक सम्भव हो सके, एक जिले में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उत्तर से उत्तर-पूर्व की ओर शुरू किया जाएगा और फिर टेढ़े-मेढ़े तरीके से आगे बढ़कर दक्षिणी तरफ समाप्त होगा।"

भवदीय,

(शंगारा राम)
दूरभाष सं.: 011-23052005
फैक्स : 011-23052006

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी राज्यों (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघशासित क्षेत्र, पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. भारत के महापंजीयक,
   गृह मंत्रालय,
   भारत सरकार,
   2ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110 011
3. राष्ट्रीय दल एवं मान्यताप्राप्त राज्यीय दल